06

भारत में महिलाओं से सम्बंधित समस्याओं के निवारण हेतु भारतीय कानूनों की भूमिका (एक विश्लेषण)

पंकज कुमार आहिरवार
सहायक प्राध्यापक (विधि)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत भारत में महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु भारतीय कानूनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भारत में वर्तमान महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरुतियों से निपटने के लिए भारतीय संविधान, भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत किये गये प्रावधानों का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है जिनके माध्यम से भारत में महिलाओं के प्रति न्याय की स्थापना संभव हो सकी है। भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के द्वारा महिलाओं के संबंध में सक्रियता का उपयोग करते हुए निर्णय एवं दिशा निर्देश प्रतिपादित किये है। प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में क्या यह अधिनियम सफल हो सके है को भी ध्यान में रखकर अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत का इतिहास महिलाओं को सम्मान पूर्ण स्थान दिलाने के लिए सजग रहा है। महिलाओं को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भारत में किये जा रहे है। समाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी महिलाओं की

Scanned with CamS

स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

परिचय—

प्राचीन काल से ही भारत में महिलाओं को अत्यंत पूज्यनीय माना गया है ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में महिला की पूजा की जाती है वहा देवताओं का वास होता है, अर्थात महिलाओं को भारत वर्ष में देवताओं के समान स्थान प्राप्त है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:।।

जहा स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताओं – अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान, समाज तथा परिवार पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं। जहां ऐसा नहीं होता और उनके प्रति तिरस्कारमय व्यवहार किया जाता है, वहां देवकृपा नहीं रहती है और वहां संपन्न किये गये कार्य सफल नहीं होते है।

स्त्रियां तु रोचमानायां, सर्व तद्रोचते कुलम्।
तस्यां त्वरोचमानायां, सर्वभेव न रोचते।।

स्त्रियों के आभूषण—वस्त्र आदि से प्रसन्न रहने पर उसका वह सारा कुल शोभित होता है। उनके प्रसन्न न रहने पर सभी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तात्पर्य यह है कि जिस घर में स्त्रियाँ सुखी है, उसी घर में समृद्धि और प्रसन्नता विद्यमान रहती है। जहाँ स्त्रियाँ प्रसन्न नहीं रहती है, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है अर्थात सम्पूर्ण कुल मलिन रहता है।

उपरोक्त सभी बातों के होते हुए भी आज हमें महिलाओं कि स्थिति पर चिंतन करने कि आवश्यकता पड़ रही है तो निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति वर्तमान समय में संतोषजनक नहीं हैं। आज महिलाओं की स्थिति पुरातन समय कि अपेक्षा सामाजिक राजनैतिक एवं पारिवारिक रूप से कमजोर हुई है। पहले समय में ज्यादातर समुदाय मातृसत्तात्मक हुआ करते थे जिनमें केन्द्र बिंदु महिला ही हुआ करती थी। पहले महिलाएं देवी के रूप में भी पूज्यनीय हुआ करती थी और वर्तमान में भी महिलाओं को सम्मान प्रदान किया जाता

Scanned with CamS

है, परन्तु आज कोई महिला देवी दुर्गा, सरस्वती, गायत्री, वैष्णवी या लक्ष्मी के समान पूज्यनीय क्यों नहीं है, इस बात पर विचार करने की आवश्कता है। आज के समय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विशेषकर विवाहित महिलाओं की स्थिति मे चिंतन करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में महिलाओं के समक्ष बहुत सी समस्याएं एवं चुनौतियां सुरसा के समान मुंह फैलाये खड़ी है, और तमाम कानून एवं नियम बनाने के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट आती जा रही है। जबकि महिलाओं के बारे में कहा गया है कि—

तस्मादेता: सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनै:।

तानि कश्त्याहतानीव विनश्यन्ति समन्तत:।।

जिन घरों में पारिवारिक स्त्रियां निरादर—तिरस्कार के कारण असंतुष्ट रहते हुए शाप देती है, यानी परिवार की अवनति के भाव उनके मन में उपजते है, वे घर कृत्याओं के द्वारा सभी प्रकार से बरबाद किये गये से हो जाते हैं। (कृत्या उस अदृश्य शक्ति की द्योतक है जो जादू— टोने जैसी क्रियाओं के किये जाने पर लक्षित व्यक्ति या परिवार को हानि पहुंचाती है।)

भारत में महिला अधिकारों से सम्बंधित प्रमुख कानून

हिंन्दू विवाह अिधिनियम १९५५ :—

हिन्दु विवाह अभिनियम के अंतर्गत विवाहित महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए तलाक के अतिरिक्त विकल्प प्रदान किये गये है साथ ही वाद कालीन भरण पोषण का भी उपबंध करता है। हिन्दु विवाह अभिनियम के अंतर्गत द्विविवाह के लिए दण्ड एवं ऐसे विवाह की अकृत्ता का भी प्रावधान किया गयो है साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि जो कोई द्विविवाह करेगा वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९४ तथा ४९५ के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।

Scanned with CamS

विशेष विवाह अधिनियम १९५४:—

विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ बिना किसी धार्मिक महत्व के विवाह के सम्बन्ध में उपबन्ध करता है। अधिनियम की धारा ४ के अनुसार किसी भी धर्म के दो वयस्क व्यक्ति विवाह कर सकते है। यह कानून महिलाओं को अपनी इच्छानुसार विवाह करने की अनुमति प्रदान करता है साथ ही साथ यह कानून ऐसे विवाहों को वैधानिकता भी प्रदान करते है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपने विवाह के लिए रजिस्ट्री करण कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम १९५६ :—

विवाह विघटन की स्थिति में स्त्रियों की सहायता हेतु कुछ अधिकारों के मूल विचारों को सभी वैयक्तिक विधियाँ स्वीकार करती है। ये अधिकार विभिन्न शर्तों के अधीन है। शून्य विवाह में पत्नी को भरण—पोषण हेतु दावा करने की अनुमति नहीं दी गई है। भरण—पोषण का भुगतान न होने पर वह न्यायालय की शरण ले सकती है। भरण पोषण के भुगतान करने के न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना या तीन माह की सजा से दण्डनीय किया जा सकता है। भारत में न केवल हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम भरण पोषण की व्यवस्था करता है बल्कि दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा हिन्दु विवाह अधिनियम १९५५ भी भरण पोषण के संबंध में प्रवधान करता है।

दहेज प्रतिशेध अधिनियम (१९६१):—

दहेज प्रथा बहुत पुरानी कुप्रथा है, लेकिन इस दहेज प्रथा को कानून अपराध घोषित करने वाला कानून ज्यादा पुराना नही है, शायद यह महिलाओं के हक मे बनाया गया सबसे विवादस्पद कानून भी है, दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ में लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान कर के भारत में दहेज लेना या देना, दोनों को ही कानून अपराध घोषित कर दिया गया है। यह न केवल महिला गरिमा एवं सम्मान के विरूद्ध है बल्कि दहेज महिलाओं के लिए एक अभिशाप भी है। विवाह हेतु किसी राशि या गहने का दिया—लिया जाना इस कानून के द्वारा निःशेध कर अपराध बना दिया गया है।

Scanned with CamS

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम १९६१:—

मैटर्निटी बेनिफिट (एमेंडमेंट) बिल या मातृत्व लाभ (संशोधन) बिल ११ अगस्त, २०१६ को राज्य सभा और ९ मार्च, २०१७ को लोकसभा में पास हुआ, २७ मार्च, २०१७ को यह कानून पारित किया गया, इस अधिनियम के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया है, यह अधिनिमय यह उपबन्धित करता है कि यह कानून अवकाश के दौरान वेतन तथा उनकी नौकरी के अधिकार को सुरक्षित करता है, यह अधिनियम सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनी पर लागू होता है, जहां १० से अधिक कर्मचारी काम कर रहे है।

विदेशी विवाह अधिनियम, १९६९

अधिनियम की उद्देशिका से ज्ञात होता है कि भारतीय नागरिकों के भारत के बाहर होने वाले विवाहों के सम्बन्ध में यह अधिनियम उपबन्ध करता है। इस अधिनियम के प्रख्यापन के पूर्व ऐसे विवाह विशेष विवाह अधिनियम १९५४ के उपबन्धों के अधीन होते थे।

बाल विवाह संबंधित विधि में संशोधन —

भारत में रूढ़ि विवाह की जड़ें इतनी गहरी है कि आज भी हम उन कुरीतियों से नहीं उबर पाये है। समाचार पत्रों के माध्यम से आज भी हमें उन दुःखद रूढ़ियों की अनुभूती वर्तमान आधुनिक युग में भी हो जाती है। ऐसी प्रथा एवं रूढ़ी जो कि महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा के विरूद्ध हो उस के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, १९२९ में १९७८ में संशोधित किया गया प्रस्तुत संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि २१ वर्ष से कम आयु के लड़का एवं १८ वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह प्रतिबंधित है। संशोधन अधिनियम की धारा ३ यह उपबंध करती है कि, यदि पूर्वोक्त आयु से कम आयु में कोई विवाह करता है तो उस के लिए १५ दिवस का कारावास का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इस अधिनियम की धारा ५ बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति के लिए ३ माह की सजा

Scanned with CamS

का प्रावधान करती है। इस अधिनियम की भाग ६ के उल्लंघन में किये जाने पर ऐसे अवश्यक के संरक्षक अथवा माता–पिता को भी दंडित करने का प्रावधान करती है। जिसके अंतर्गत तीन मास के कारावास का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं का अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम, १९८६

महिलाओं का रूपण दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक तरफ उसे सच्चरित्र सरल एवं आज्ञाकारी महिला के रूप में दिखाया जाता है तथा दूसरी ओर अशिष्ट एवं सेक्स से सम्बन्धित रूपण किया जाता है। उसे आज व्यावसायिक प्रचार–प्रसार का माध्यम बना दिया गया है। मॉडलिंग के नाम पर अंग प्रदर्शन एक सामान्य बात हो गई है। सौन्दर्य प्रतियोगिताओं में नारियों को अर्द्धनग्न अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है। १९८६ में महिलाओं का अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम पारित किया गया है जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसार करेगा, या करवाएगा या फिर किसी प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा या उसमें भाग लेगा जिसमें किसी स्त्री का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट होगा वह इस अधिनियम के उल्लंघन पर प्रथम दोष सिद्धि की दशा में दो वर्ष के कारावास से व दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा तथा द्वितीय दोष सिद्धि पर व पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर न्यूनतम ६ माह से अधिकतम ५ वर्ष तक के कारावास तथा दस हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत दंडित कार्य जमानतीय व संज्ञेय प्रकृति के बनाये गये है।

सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, १९८७

आज भारत में स्त्री की स्थिति का आंकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि सती जैसा कार्य भी सम्भव है, और जिसका खुले आम समर्थन किया जाता है तथा प्रशंसा की जाती है। रूपकंवर सती की दसवीं वर्षगांठ भी निकल गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कोई भी उत्सुक नहीं है क्योंकि दैनिक समाचार पत्रों में ऐसे मामले अक्सर प्रकाशित होते

Scanned with CamS

रहते है। सती प्रथा निवारण अधिनियम, १९८७ के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि, किसी स्त्री के पति की मृत्यु के पश्चात् उसके पति की चिता के साथ उसको जलाने हेतु उत्प्रेरित करने, उस कृत्य का प्रचार प्रसार करने, उत्सव इत्यादि को दंडित किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम, १९९०

महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित एवं सुरक्षित तथा समय समय पर अनुवंशा के लिए वर्ष १९९० में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम की धारा ३ (१) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करेगी जो अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये कार्यो का सम्पादन करेगा।

घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम २००५

२६ अक्टुबर, २००६ को यह कानून भारत में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य हर प्रकार की घरेलू हिंसा से महिलाओं को रक्षा करना था. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लेकर यूएन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकड़े बार—बार हमें आगाह कर रहे थे कि भारत में ७० फीसदी महिलाएं घरों के अंदर घरेलू हिंसा की शिकार है और सिर्फ १० फीसदी महिलाएं उस हिंसा की शिकायत करती है भारत में कोई ऐसा कानून भी नहीं था, जो घरों के भीतर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके, इसलिए २००६ में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम २००५ लाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत उपबंध किया गया है कि यदि किसी महिला के पति, नातेदारों या पुरूष मित्रों द्वारा हिंसा जिसके अंतर्गत शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, आर्थिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा की जाती है तो ऐसी पीड़ित महिला इस अधिनियम के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू आवास का जिसे वैवाहिक निवास भी कहा जाता है में रहने का अधिकार भी प्रदत्त किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधानित किया गया है कि जो कोई इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करेगा वह एक वर्ष के कारावास व २० हज़ार रूपये के दण्ड का भागी होगा।

Scanned with CamS

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (२००५)

यह आजाद भारत के इतिहास में महिलाओं के लिए लाया गया सबसे ऐतिहासिक और सबसे जरूरी कानून है, हिंदू उत्तराधिकार कानून, १९५६ तो पहले भी था, लेकिन उसमें लड़के और लड़की के लिए भेदभावपूर्ण नियम थे, उस कानून में लड़कियों का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, पिता की सारी संपत्ति लड़कों को मिलती थी, २००५ में इस कानून में संशोधन किया गया और ९ सितंबर, २००५ में यह लागू हुआ.

तीन तलाक कानून (२०१९)

यह तो सभी को ज्ञात है कि मुस्लिम विधि के अनुसार पुरूषो को तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार था। जो मुस्लिम महिलाओ के लिए बहुत कष्ट प्रदान करने वाला और अमानवीय तरीका था। इस कानून के लागू हो जाने के पश्चात ऐसी महिलाओं को उस दुःख या कष्ट से संरक्षण प्रदान करने हेतु यह कानून बहुत ही कारगर साबित हो रहा है।

महिला आरक्षण

महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाएं स्त्री के अधिकारों के सम्बंध मे अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार संसद में ३३.३ प्रतिशत सीट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अभी तक गठित किसी भी समिति या आयोग ने महिलाओं के लिए स्वतंत्र रूप से आरक्षण प्रदान करने की कभी संस्तुति नहीं की महिलाओं का आरक्षण देने सम्बन्धी पहली बार मुद्दा राजीव गांधी ने उठाया था, प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल के शासनकाल में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने की पूरी कोशिश की गई, उसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन हर बार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण देने का मामला

Scanned with CamS

विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य तीव्र गतिरोध के कारण टलता रहा, इन दलों की मांग आरक्षण देने की है अर्थात महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत सीटों में भी एक तिहाई अल्पसंख्यक दलित एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग, महिला आरक्षण के सन्दर्भ मे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उन्हें पर्याप्त आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, समाज का सुधारवादी या प्रगतिशील वर्ग मानता है कि आरक्षण के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से समाज का पर्याप्त विकास सम्भव है,भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ (४) एवं अनुच्छेद १६ (४) के अतिरिक्त अनुच्छेद ३३० से लेकर अनुच्छेद ३४२ तक भारतीय समाज में सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के आरक्षणों की व्यवस्था की गई है।

भारत में स्त्रियों से सम्बन्धित विधि के अन्य उपबंध

षिषुओं की अभिरक्षा

आधुनिक समय में विवाह की तरह विवाह विच्छेद भी स्वीकार्य है। फिर भी, ऐसे माता—पिता जिनमें विवाह विच्छेद हो चुका हो, उनके शिशु समाज में इतना आसानी से स्वीकार्य नहीं है। विवाह विच्छेद से शिशुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

शिशु अभिरक्षा विकल्प

विवाह विच्छेद होने पर शिशु की अभिरक्षा के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण हल निकालना, काफी मुश्किल होता है। इस परेशानी को किसी मध्यस्थता द्वारा कम किया जा सकता है। समुचित ढंग से मध्यस्थता द्वारा माता—पिता के बीच इस सम्बन्ध में कोई समझौता कराया जा सकता है।

भारतीय न्यायालय तथा षिषु अभिरक्षा

कॉमन विधि के अनुसार शिशु को पिता की अभिरक्षा में केवल तब दिया जाता है जब माता इसके लिए इनकार करती है। भारतीय न्यायालय शिशु को माता की अभिरक्षा में नहीं दे सकते यदि पिता की आर्थिक स्थिति माता से बेहतर है ऐसा भी हो सकता है कि यदि माता किसी नियोजन में न हो, तो शिशु को पितामह, पितामही की अभिरक्षा में दे दिया जाये तथा यदि माता नियोजन में हो, तो यह

Scanned with CamS

अभियोग लगाया जा सकता है।

सम्पत्ति तथा आस्तियाँ

विवाह विच्छेद के समय सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्त्री का अन्य संक्रामण न करने योग्य अधिकार केवल स्त्रीधन के लिए है। यानि कि विवाह के दौरान उसके ससुराल पक्ष या उसके माता–पिता द्वारा दिये गये जेवरात या दूसरी भेंट तथा दहेज की वह पूर्ण स्वामिनी है।

महिला के लिए सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण

उपरोक्त सभी कानून महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक अधिकारो को संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाये गये है जिससे उनके अधिकारो को सुरक्षा प्राप्त हो रही है और साथ ही महिलाओं का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है इसी क्रम में दिन प्रतिदिन महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है जैसे न्यायालय के द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुत से निर्णय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिये गये है। उदाहरण के तौर पर–

- हाल ही मे मध्यप्रदेश कैबिनेट ने फैसला लिया है की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को ४ लाख रूपये तक की मदद की जायेगी।
- राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही मे फैसला दिया है की अनुकंपा नियुक्ति मे भी शादीशुदा बेटी का अधिकार प्राप्त रहेगा।
- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया है की भारतीय नागरीक होने के नाते हर लड़की को शंती पुर्ण जीवन जीने का अधिकार है।
- जब तक स्कूल दस्तावेज में किसी गड़बड़ी की आशंका ना हो तब तक DNA टेस्ट कि अनुमति नही दी जा सकती। (त्रिपुरा हाईकोर्ट)
- अब शादीशुदा महिलाए भी मैराइटल रेप की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। (दिल्ली हाईकोर्ट)
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही मे फैसला दिया है की घर बनवाने के लिए ससुराल से पैसा मांगना दहेज की श्रेणी में माना जायेगा।

Scanned with CamS

- सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा ४९८। के तहत फैसला दिया है कि एक महिला द्वारा दूसरी महिला के खिलाफ क्रूरता अधिक गंभीर है।
- महिला को यौन संबंध, सैक्स की आदत होना किसी पुरूष का आरोपों से बचाव का वैध आधार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
- विवाहित होकर भी किसी अन्य से शारीरिक संबंध रखना अपराध नहीं : चंडीगढ़ हाईकोर्ट
- लिव इन रिलेशनशिप कानून की नजर में अपराध, पाप नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
- एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले अपने पार्टनर से गुजारा भत्ता मांग सकती है : सुप्रीम कोर्ट
- पहले पति से तलाक लिए बिना नए पुरूष के साथ रिश्ते में प्रवेश करने वाली महिला को उसके बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

निष्कर्ष :

उपरोक्त सभी कानून एवं उसके उपबंध वर्तमान समय में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं के निवारण हेतु एवं महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यद्यपि वर्तमान में इन कानूनों का दुरूपयोग भी बहुतायत में हो रहा है, जिससे परिवार की संरचना भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, और बहुत सारे परिवार इस वजह से टूट रहे है। परन्तु थोड़ी सी हानि की वजह से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपरोक्त कानून आज महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। महिलाओं का शोषण तथा उनका उत्पीड़न एक सामाजिक विकृति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है जिसका इलाज किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कानून महिलाओं को समाज में अपनी जगह स्थापित करने में सहायता करते हैं।

संदर्भ सूची :

सिंह, मीनाक्षी (२०१३) महिला कानून, गुड़गाँव: महेन्द्र बुक कंपनी हरियाणा।

Scanned with CamS

भारत में महिलाओं की स्थिति : विविध आयाम

© राम आशीष श्रीवास्तव
मनोज कुमार राव

❖ **Publisher :**
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
Limbaganesh, Dist. Beed (Maharashtra)
Pin-431126, vidyawarta@gmail.com

❖ **Printed by :**
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
Limbaganesh, Dist. Beed, Pin-431126
www.vidyawarta.com

❖ **Page design & Cover :**
H.P. Office (Source by Google)

❖ **Edition:** April 2022

ISBN 978-93-92584-22-0

❖ **Price : 200/ -**

All Rights Reserved, No part of this publication may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic mechanical, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner. Responsibility for the facts stated, opinions expressed. Conclusions reached and plagiarism, If any, in this volume is entirely that of the Author. The Publisher bears no responsibility for them. What so ever Disputes, If any shall be decided by the court at **Beed** (Maharashtra, India)

Scanned with CamS